

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०-1प/स्था०-03-18/2025/...../415...../पं०रा० पटना, दिनांक.....07/7...../2025

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार पंचायत सेवा के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्र संख्या-27/लो०से०आ०/गो० दिनांक-21.12.2024 द्वारा अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थी (जिनका स्थायी/वर्तमान पतों एवं चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त है) को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक-01.04.2003 तथा पत्र संख्या-1859 दिनांक-08.07.2006 में निहित निदेशों के अनुरूप एवं अद्योलिखित शर्तों के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान वेतन स्तर-7 के प्रथम प्रक्रम पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत/अनुमान्य भत्तों के साथ परिक्ष्यमान प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के रूप में औपबंधिक रूप से छः माह के लिए नियुक्त किया जाता है तथा इनके नाम के सामने स्तम्भ-7 में अंकित प्रखंड/कार्यालय में अगले आदेश के लिए सहित पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	आयोग से प्राप्त वरीयता क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	गृह जिला	आवंटित प्रखंड	अभ्युक्ति
1	135	135070	श्री अर्द्धनारीश्वरम नटराजन	06.10.1989	प०चम्पारण	चरित्रा, 20 च०.	

2. उक्त अभ्यर्थी की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ अगले छः माह के लिए की जाती है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक-1859 दिनांक-08.07.2006 के आलोक में विहित प्रपत्र में समर्पित एवं इनके स्थायी/वर्तमान पतों के आधार पर उनके गृह जिला के जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक को प्रेषित, चरित्र एवं पूर्ववृत्त (Character and antecedents) का सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर उनकी सेवा निरस्त भी की जा सकती है तथापि विशेष परिस्थिति में अगले छः माह के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर ही विस्तारित किया जा सकेगा, जबतक कि अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता है।

3. यह नियुक्ति उनके द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं, शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त के साथ की जा रही है कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, आरक्षित पद के विरुद्ध नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य संबंधित प्रमाण-पत्रों का क्रमशः निर्गत करने वाले संस्थानों/कार्यालयों से सत्यापन/जाँच इनके पदस्थापन कार्यालय द्वारा कराया जायेगा तथा प्रमाण-पत्रों की जाँच में किसी प्रकार की त्रुटि या गड़बड़ी पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी एवं तदनुसार नियमसंगत कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

4. बिहार सेवा संहिता के नियम-52 के अन्तर्गत असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जिनका अप्राप्त है) एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने

अथवा न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान के समय अनिवार्य रूप से समर्पित करेंगे। उक्त योगदान हेतु उन्हें कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

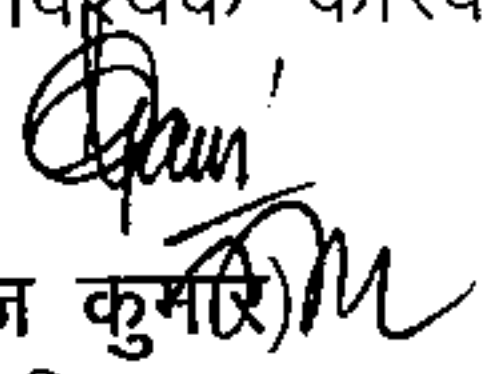
5. उक्त अभ्यर्थी यदि पूर्व से किसी नियोक्ता के अंतर्गत सेवारत हैं, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी को अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. इनकी परीक्ष्यमान अवधि के संबंध में बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा नियमावली, 2024 यथा संशोधित के प्रावधान लागू होंगे।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-21.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।


(मनोज कुमार)
सचिव

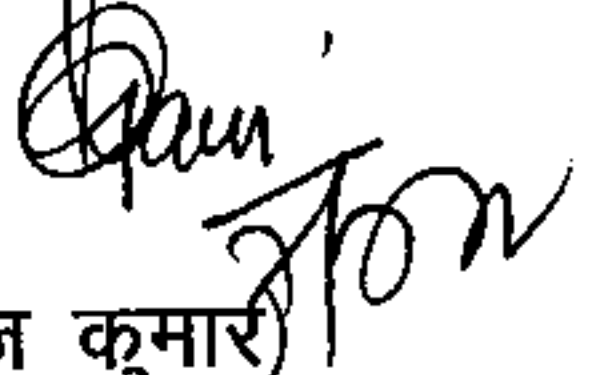
ज्ञापांक-1प/स्था०-03-18/2025/8410/पं०रा० पटना, दिनांक 07/07/2025
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार/जिला कोषागार/उप कोषागार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक-1प/स्था०-03-18/2025/8410/पं०रा० पटना, दिनांक 07/07/2025
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/जिला कोषागार पदाधिकारी/श्री अर्द्धनारीश्वरम नटराजन, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक-1प/स्था०-03-18/2025/8410/पं०रा० पटना, दिनांक 07/07/2025
प्रतिलिपि-आप्त सचिव, मंत्री, पंचायती राज विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/सभी प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-05/आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० प्रबंधक इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।


(मनोज कुमार)
सचिव